नकल आदेश दिनांक 15/1/16 हस्तगत

न्यायालय उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट,बाराबंकी

वाद संख्या–T201604120245

धारा–143 ज0वि0 अधिनियम
ग्राम– फत्तापुरकलां
परगना– रूदौली
तहसील–रामसनेहीघाट
जनपद–बाराबंकी

श्रीमती विद्या भारती आदि बनाम सरकार

निर्णय

श्रीमती विद्या भारती पत्नी राधाकृष्ण भारती व माँ शारदा देवी एजूकेशनल ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी अनुपमा गोस्वामी पुत्री राधाकृष्ण भारती नि0 175के शिवपुर सहबाजगंज पादरी बाजार रोड परगना खुटहन तहसील सदर जनपद गोरखपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 22–06–2015 अन्तर्गत धारा 143 जमीदारी विनाश अधिनियम प्रस्तुत करके अवगत कराया गया है कि प्रार्थीगण गाटा सं0 1219/0.481हे0 के 2/5 भाग व 1222/1.948हे0 पूर्ण भाग स्थित ग्राम फत्तापुरकलां के संक्रमणीय भूमिधर है। प्रार्थीगणों द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है, जिससे उक्त भूमि अकृषिक हो गयी है। सन्दर्भित भूमि को उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार रामसनेहीघाट से करायी गयी । तहसीलदार रामसनेहीघाट द्वारा अपनी आख्या दिनांक 15–01–2016 न्यायालय पर उपलब्ध करायी गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण गाटा सं0 1219/0.481हे0 के 2/5 भाग व 1222/1.948हे0 पूर्ण भाग स्थित ग्राम फत्तापुरकलां पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। संदर्भित भूमि के चिन्हांकन पश्चात यह तथ्य संज्ञानित हुआ कि प्रार्थीगणों द्वारा ग्राम फत्तापुरकलां परगना रूदौली स्थित गाटा सं0 1219/0.481हे0 के 2/5 भाग अर्थात 0.192हे0 व गाटा सं0 1222/1.948हे0 के सम्पूर्ण भाग कुल 2.140 हे0 भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 06–05–2015 के माध्यम से क्रय किया गया है। प्रार्थीगणों की उक्त क्रय शुदा भूमि के लगभग 1022वर्गमीटर पर माँ शारदा देवी महाविद्यालय निर्माणाधीन है तथा शेष भूमि महाविद्यालय प्रांगण तथा क्रीड़ा स्थल के लिये छोड़ी गयी है। मौके पर निर्माण कार्य से सम्बन्धित सामग्री प्रचुर मात्रा में रखी हुयी है, जिसके कारण उक्त भूमि अकृषिक हो गयी है। प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई भी कृषेत्तर कार्य यथा बागवानी, बृक्षारोपड़, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि जैसे कार्य सम्पादित नहीं किये जा रहे है। भूमि ग्राम समाज अथवा सीलिंग से प्रभावित नही है। धारा 143 ज0वि0अधिनियम के साथ सपठित नियमावली 135 में वर्णित प्रारूप पर आख्या पृथक से संलग्न की गई है। गाटा सं0 1219/0.481हे0 के 2/5 भाग अर्थात 0.192हे0 व गाटा सं0 1222/1.948हे0 के सम्पूर्ण भाग कुल 2.140 हे0 स्थित फत्तापुरकलां को उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार रामसनेहीघाट की अग्रसारण आख्या दिनांकित 15–01–2016 सहित सम्पूर्ण पत्रावली के सम्यक् अवलोकनोपरान्त मैं इस अभिमत का हूँ कि गाटा सं0 219/0.481हे0 के 2/5 भाग अर्थात 0.192हे0 व गाटा सं0 1222/1.948हे0 के सम्पूर्ण भाग कुल 2.140 हे0 स्थित ग्राम फत्तापुरकलां को उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने में कोई विधिक अड़चन नही है।

आदेश

अतः तहसीलदार रामसनेहीघाट की जांच आख्या दिनांकित 15–01–2015 के आधार पर ग्राम फत्तापुर कलां परगना रूदौली की खतौनी फ0 1423–1428 के खाता सं0 715 पर अंकित गाटा सं0 1222/1.948हे0 के सम्पूर्ण भाग व खाता सं0 275 पर अंकित गाटा सं0 1219/0.481हे0 के बकदर भाग 0.192हे0 कुल 02 किता रकबा 2.140हे0 भू0रा0 60ख को उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामसनेहीघाट की जांच आख्या दिनांक 15–01–2016 आदेश का अंग रहेगी। तदनुसार अभिलेखो में अंकन हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक रामसनेहीघाट को प्रेषित की जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जाए।

15/1/16
उपजिलाधिकारी,
रामसनेहीघाट–बाराबंकी

क्रम संख्या 95
नकल सवाल प्राप्त करने की तिथि 21/1/16
तैयारी तिथि 21/1/16
तादाद कोर्ट फीस 3 मूल्य 3/-
शब्द संख्या 210 शब्द
हस्ताक्षर नकल नवीस

COURT FEE
भारत INDIA
एक रुपया
ONE RUPEE

सत्य प्रतिलिपि
रीडर 21.1.16
न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
रामसनेहीघाट–बाराबंकी